सं०सं०—ICDS/80050/01-2025—

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(आई.सी.डी.एस. निदेशालय)

—:: संकल्प ::—

पटना, दिनांक—

विषय :— **आँगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना अन्तर्गत आँगनबाडी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 03—06 वर्ष तक के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने के निमित पूर्व से प्रावधानित देय राशि की प्रक्रिया को परिवर्तित करते हुए उक्त राशि के बदले में जीविका, बिहार के माध्यम से निर्मित प्रति बच्चा दो सेट पोशाक आँगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने एवं पोशाक की दर में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के प्रस्ताव को अंगीकृत करते हुए योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति।**

समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस) के अन्तर्गत राज्य के सभी 38 जिलों के 544 बाल विकास परियोजनाओं में स्वीकृत 1,15,009 आँगनवाड़ी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 03—06 वर्ष तक के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान है, ताकि नामांकित बच्चे स्कूल पूर्व शिक्षा सदृश पोशाक में शिक्षा ग्रहण कर सके तथा आँगनबाड़ी केन्द्रों पर उनकी अलग पहचान के साथ—साथ उनके बीच समरूपता एवं सामाजिक समरसता का भाव विकसित हो सके।

आँगनबाड़ी केन्द्रों के बच्चों के लिए पोशाक योजना अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना सं० 2435, दिनाक 25.04.2018 के आलोक में प्रत्येक बच्चे को पोशाक हेतु प्रति वर्ष रू0 400/— (चार सौ) मात्र की राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से अभिभावकों को उपलब्ध कराये जाने के बावजूद भी शत—प्रतिशत स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चे पोशाक में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं। फलस्वरूप इस योजना के क्रियान्वयन में परिवर्तन की आवश्यकता महसूस की गयी।

उक्त के आलोक में आँगनबाडी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 03—06 वर्ष तक के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने के निमित पूर्व से प्रावधानित प्रति वर्ष प्रति बच्चा रू0 400/— (चार सौ) देय राशि की प्रक्रिया को परिवर्तित करते हुए उक्त राशि के बदले में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, बिहार के पत्रांक—3505, दिनांक—18.02. 2025 के आलोक में जीविका, बिहार के माध्यम से निर्मित प्रति बच्चा दो सेट पोशाक, आँगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराया जाना है एवं पोशाक की दर में 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि किया जाना है।

अतएव राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के आलोक में सम्यक विचारोपरांत आँगनबाडी केन्द्रों के माध्यम से स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 03—06 वर्ष तक के बच्चों को पोशाक उपलब्ध कराने के निमित पूर्व से प्रावधानित प्रति वर्ष प्रति बच्चा रू0 400/— (चार

सौ) देय राशि की प्रक्रिया को परिवर्तित करते हुए उक्त राशि के बदले में जीविका, बिहार के माध्यम से निर्मित प्रति बच्चा दो सेट पोशाक, आँगनवाड़ी केन्द्रों पर उपलब्ध कराये जाने एवं पोशाक की दर में प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के प्रस्ताव को अंगीकृत करते हुए योजना के क्रियान्वयन की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

5/6/25

(योगेश कुमार सागर)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– **ICDS/80050/01-2025** 4546 पटना, दिनांक– 05.06.025

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, बिहार, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

5/6/25

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– **ICDS/80050/01-2025** 4546 पटना, दिनांक– 05.06.025

प्रतिलिपि :– प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी (दो प्रति) एवं सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

5/6/25

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– **ICDS/80050/01-2025** 4546 पटना, दिनांक– 05.06.025

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी / महालेखाकार, बिहार, पटना / अपर मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / अपर सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग / प्रधान सचिव, वित्त विभाग / सचिव, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव / निदेशक, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय / वित्त विभाग (बजट शाखा) / अपर सचिव, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5/6/25

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– **ICDS/80050/01-2025** 4546 पटना, दिनांक– 05.06.025

प्रतिलिपि :– सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

5/6/25

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक– **ICDS/80050/01-2025** 4546 पटना, दिनांक– 05.06.025

प्रतिलिपि :– आई0टी0मैनेजर, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/6/25

सरकार के संयुक्त सचिव।